संख्या-293/22/980/41-2022/77 budget 2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 13 मई,2022**

विषयः- जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य की परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक अपने पत्र सं0-117/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(26)/2018 दिनांक 08.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से संदर्भगत परियोजना की मूल स्वीकृति में अंकित कार्यों एवं उनकी निविदा लागत के सापेक्ष विचलन विवरण उपलब्ध कराते हुये उक्त पर अनुमोदन प्रदान करने एवं प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. **जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा** गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–151/2018/2724/41-2018-77(बजट)/2018 दिनांक 27 अगस्त, 2018 द्वारा रू0 1,35,44,000.00 (रूपये एक करोड पैतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप मे रू0 67,88,000.00 (रूपये सडंसठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत प्रयोजना में कतिपय कार्यों को जोड़े व घटाये जाने के कारण संशोधित आगणन रू0 3,42,81,000.00 (रूपये तीन करोड बयालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) उपलब्ध कराया गया था। उक्त संशोधित आगणन का परीक्षण पर्यटन विभाग में गठित अप्रेजल समिति से आंकलन कराये जाने के उपरान्त रू0 3,06,81,000.00 (रूपये तीन करोड छः लाख इक्यासी हजार मात्र) +जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-193/2019/1916/41-2019-77 (बजट)/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2019 द्वारा जारी की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2020 द्वारा रू0-238.93 लाख अवमुक्त की गई। उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 को छोड़कर प्रयोजना की समस्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-4758/6-1-1(16) ब्र0ती0वि0प0/2019 दिनांक 18.11.21 द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गई धनराशि रू0 33.61 लाख को अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। तत्क्रम में शासन के पत्रांक-704/2021/4341/41-2021-77(बजट)/2018 दिनांक 13.12.21 द्वारा महानिदेशक पर्यटन से प्रयोजना की टेण्डर्ड लागत/उक्त के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण/डिफेक्ट लाइबिल्टीज अवधि के लिये 05 प्रतिशत धनराशि को रोके जाने के तथ्य को संज्ञान में रखते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। तदनन्तर महानिदेशक पर्यटन द्वारा पत्रांक-7783/6-1-1/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

ब्र0ती0वि0प0(55)/2021 दिनांक 9.32022 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश सं0-121/2022/615-41-2022-77(बजट)/2018 दिनांक 21.3.22 द्वारा प्रयोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 35.20 लाख इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत की गई कि निदेशालय स्तर पर भुगतान के पूर्व उपरोक्त सभी संगत प्रपत्रों को प्राप्त कर अवशेष धनराशि की पुष्टि कर ली जायेगी और परियोजना की मूल स्वीकृति में अंकित कार्यों एवं उनकी निविदा लागत के सापेक्ष यदि किसी प्रकार का विचलन किया गया है तो उसकें संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

3- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेक पर्यटन के उल्लिखित पत्र दिनांक 8.4.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रयोजना में विचलन के उपरान्त कराये गये कार्यों एवं उनकी पुनरीक्षित लागत रू0 293.54 लाख (रू0 तीन करोड अठ्ठाइस लाख चौवन हजार मात्र) की कार्योत्तर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि प्रयोजना हेतु विभिन्न किश्तों में अवमुक्त की गई धनराशियों से संबंधित शासनादेशों में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णत: अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकारण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकारण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in